

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय/पुरस्कार/61067/2019-20/21

दिनांक:- 10/08/2020

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
(स्कूल शिक्षा)।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

विषय:- आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में प्रशंसा पत्र प्रदान किए जाने बाबत प्राप्त आवेदनों की/सूचना भिजवाने के संबंध में।
प्रसंग:- समसंख्यक पत्रांक-19 दिनांक 01.08.2020 के क्रम में।

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के आधार पर शिक्षक दिवस (05 सितम्बर) के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के तीन-तीन संस्था प्रधानों को प्रशंसा पत्र प्रदान किए जाने हैं।

जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा जांच उपरान्त आवेदनों को निदेशालय को भेजने की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2020 है। संस्था प्रधानों से प्राप्त आवेदन पत्रों में से उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदन पत्रों में से वरियता वाले प्रथम तीन आदर्श एवं प्रथम तीन उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों का चयन कर उनके आवेदन पत्रों को निदेशालय को भिजवाये जाने से पूर्व निर्देशानुसार यह सुनिश्चित कर लेवें कि-

1. संस्था प्रधान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उपखण्ड अधिकारी द्वारा समुचित अनुशंसा की गई है।
2. आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए कार्यों, विवरणों आदि से संबंधित विन्दुवार साक्ष्य, स्पष्ट फोटोग्राफ्स (यथा-मुख्यद्वार के साथ विद्यालय भवन, शौचालय व्यवस्था, कक्षा-कक्ष, पेयजल व्यवस्था, खेल मैदान, इत्यादि), प्रमाण-पत्र, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विवरण इत्यादि संलग्न किए गए हैं।
3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यों, विवरणों आदि का सत्यापन जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों, फोटोग्राफ्स द्वारा कर लिया गया है तथा आवेदक द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानदण्डानुसार अंक प्रदान किये गये हैं।
4. संस्था प्रधान के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है/विभाग द्वारा पूर्व में दण्डित नहीं किया गया है।
5. एक बार प्रशंसा पत्र प्राप्त विद्यालय द्वारा पुनः आवेदन नहीं किया गया है।
6. प्रासंगिक पत्र के शेष अन्य दिशा-निर्देशों की समुचित पालना सुनिश्चित कर ली गई है।
7. आवेदनों में संस्था प्रधान द्वारा दर्शाई गई उपलब्धियों का जिला कलक्टर की अधकृता में गठित मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिया गया है।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करने के पश्चात् ही आवेदनों को निर्धारित अवधि तक निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। अपूर्ण आवेदन पत्र भिजवाए जाने पर आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेवार होंगे।


नोट :- 1. उपयुक्त आवेदन निदेशालय को भिजवाते समय समस्त सीडीईओ संलग्न प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक अपने संभाग क्षेत्राधिकार के समस्त सीडीईओ कार्यालयों से आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों के आवेदन पत्रों को पत्र में उल्लेखित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राप्त कर निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर स्थित आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ में निर्धारित तिथि तक जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे।

3. साथ ही समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक अपने संभाग क्षेत्राधिकार के समस्त जिलों के सीडीईओ कार्यालयों में आदिनांक तक प्राप्त आवेदनों की सूचना निम्नांकित निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी. -dserajadarsh.edu@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करें, तत्पश्चात् निर्धारित अंतिम तिथि 13.08.2020 तक उक्त कार्यालयों में प्राप्त समस्त आवेदनों की सूचना भी तैयार कर प्रतिदिन उक्त ई-मेल आई.डी. पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	दिनांक	संभाग	जिला	आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों की संख्या	उत्कृष्ट विद्यालय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों की संख्या	योग (5+6)
01	02	03	04	05	06	07

संलग्न:- प्रमाण-पत्र



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 10/08/2020

क्रमांक-शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय/पुरस्कार/61067/2019-20/21

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि), राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उपसचिव-शिक्षा (गुप-1/2/5)/प्रारंभिक शिक्षा (संस्थापन)/प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम/द्वितीय, रास्कूल शि.प., जयपुर।
9. समस्त उपायुक्त, रास्कूल शि.प., जयपुर।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माशि/प्राशि।
11. समस्त अति.जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा अभियान।
13. सहायक निदेशक, माध्यमिक अनुभाग/शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
14. समस्त जिला प्रभारीगण, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
15. प्रभारी अधिकारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, रास्कूल शि.प., जयपुर।
16. समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (सीआरसीएफ)/आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय संस्था प्रधान।
17. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
18. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
19. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय :- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान,

:: प्रमाण पत्र ::

यह प्रमाणित किया जाता है कि निदेशालय को भिजवाये जाने वाले आवेदन पत्रों की जांच कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक- शिविरा-माध्य/आदर्श विद्यालय/ पुरस्कार /61067/2019-20 /19 दिनांक:-01.08.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कर ली गई है, आवेदन पत्रों में संस्था प्रधान द्वारा दर्शाई गई उपलब्धियों का भौतिक सत्यापन जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा कर लिया गया है। प्रेषित आवेदन से संबंधित संस्था प्रधान के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच लम्बित नहीं है/विभाग द्वारा पूर्व में दण्डित नहीं किया गया है। प्रेषित आवेदन पत्रों में अंकित विद्यालयों को पूर्व में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के आधार पर प्रशंसा-पत्र प्रदान/सम्मानित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान